प्रपत्र –8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, दांतारामगढ़

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प–खाचरियावास

आदेश

प्रार्थी के ''खाता दुरूस्ती'' प्रार्थना पत्र एवं पटवारी–खाचरियावास व भू.अ.नि.–– की रिपोर्ट तथा तहसीलदार–दांतारामगढ़/नायब तहसीलदार––––––की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम–––– तहसील दांतारामगढ़ व जिला सीकर की जमाबंन्दी संवत् 2065-68 में खाता संख्या–07 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्व किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:–

क्र.स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्व प्रविष्टि)	आदेश (शुद्व प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	लाम्बानगर प.ग. कुली	07	कुरड़ाराम ब. धनाराम हि. 2 कक्ष 0.80 है.	कुरड़ाराम ब. धनाराम हि. 2 कक्ष 0.86 है शेष मुताबिक जमाबंदी बदस्तूर रहेगा

(जगदीश प्रसाद गौड़)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, दांतारामगढ़

क्रमांकः– 2152/15/कैम्प खाचरियावास/23-24 दिनांकः– 27/05/15

प्रतिलिपि–

1. तहसीलदार,दांतारामगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें ।
2. प्रार्थी श्री–कुरड़ाराम ब. धनाराम जाति जाट नि. लाम्बानगर प.ग. कुली––––––को सुचनार्थ ।
3. रक्षित पत्रावली ।

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन

सहायक कलेक्टर, दांतारामगढ़

Scanned with CamScanner